Survey of railway line from Jalna to Khamgaon, Maharashtra

2278. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether survey work for a new broad gauge railway line from Jalna to Khamgaon in Maharashtra has been completed;

(b) if so, what action has been taken on the survey report; and

(c) if not, by when the survey report is likely to be completed?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) The survey has since been completed. The total cost of the project of 155 km of new BG line works out to Rs. 132.89 crores with a negative rate of return. Due to acute constraint of resources and heavy commitments on hand it is difficult to take up this project at present.

(c) Does not arise.

दिल्ली दुग्ध योजना में छंटनी

2279. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना (डी०एम०एस०) में कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह छंटनी कब से किये जाने का विचार है ;

(ख) इस योजना में कार्यरत कितने अधिकारियों और कर्मचारियों पर इस छंटनी से प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ग) सरकार द्वारा उन अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य के लिए बनाई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थायी और अस्थायी तथा लम्बे समय से कार्य कर रहे अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने दिल्ली दुग्ध योजना में स्टाफिंग पैटर्न का एक अध्ययन किया था और नवम्बर, 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट की सिफारिशों का कुल प्रभाव यह हुआ कि 834 पद फालतू हो गये। रिक्त तथा नव सृजित पदों पर उक्त फालतू कर्मचारियों के समायोजन के पश्चात् विभिन्न वर्गों के पदों में वास्तविक फालतू पद लगभग 150 रह जायेंगे। सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार वे कर्मचारी जो फालतु घोषित कर दिए जाते हैं उन्हें सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग के फालतु स्टाफ स्थापना में स्थानान्तरित करना होता है तथा उनका बायो-डाटा फालतू सेल महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण को अन्य सरकारी विभागों में उनके पुनः कार्य पर लगाये जाने/समायोजन हेतु भेजना होता है। फालतु घोषित स्टाफ फालतू स्टाफ स्थापना में उनके पुनः कार्य पर लगाये जाने तक या सेवा निवर्तन तक सेवा में बने रहेंगे। इसलिए किसी प्रकार की छंटनी का प्रश्न ही नहीं उठता।

अंशकालिक संवाददाताओं के संबंध में बछावत बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वयन

2280. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंशकालिक संवाददाताओं के मामले में बछावत बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में क्षेत्रीय पत्रकार परिषद् पहासू, उत्तर प्रदेश का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; यदि सतो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने जिला स्तर पर तथा दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने वाले अंशकालिक संवाददाताओं के हितों को

सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या नीति अपनाई है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां। सरकार ने अल्पावधि या अंशकालिक पत्रकारों के मामले में पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए बछावत मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(ख) बछावत मजदूरी बोर्डों की सिफारिशें सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी गई है ताकि राज्य स्तर पर सिफारिशों को कड़ाई से लागू किया जा सके।

Inadequacy of Government accommodation in Delhi

2281. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at present Government accommodation available in Delhi is quite inadequate to cope with the fast growing demands of the Government servants, working in Delhi;

(b) what specific steps are being taken by Government to provide accommodation to all those Government servants who are in need of it;

(c) whether Government would consider distance from Delhi as a norm to fix priority in allocation of accommodation to Government servants;

(d) whether Government are aware of the fact that many families of the retired Government servants have not vacated the Government accommodation provided to them;

(e) whether Government are also aware of the fact that those Government servants who owned individual flats and houses in Delhi have also been allotted Government accommodation; and

(f) what steps are being taken by Government to evict unauthorised and illicit occupants of Government quarters?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir. There is acute shortage of General Pool Accommodation in Delhi.

(b) Keeping in view the financial constraints, Government tries its best to augment the General Pool Accommodation.

(c) No, Sir. The criteria for allotment upto Type-IV is length of service, and for Type-V and above the pay drawn by the officer on a specific date.

(d) Retired Government servants are allowed to retain Government accommodation for a period of 4 months after retirement which can be extended by another 4 months on payment of twice the rent except in the case of house owning officers.

(e) Yes, Sir. However, the house owning officers are eligible for allotment of Government Accommodation while in service.

(f) Action for eviction of the allotted premises beyond the period permissible under the rules is taken under the Public Premises (Eviction of Unauthorised occupants) Act, 1971.

Allotment of Government accommodation to the wards of Central Government employees

2282. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the District and Sessions Judge, Delhi has given its judgement on 27th October, 1986 regarding the allotment of Government accommodation to wards of the Central Government employees;

(b) if so, what are the details of the judgement delivered by the Hon'ble court;

(c) whether Government propose to consider allotment of quarters to the wards of retired Government employees in the light of the above said judgement;